उक्त वर्णित स्थिति में जिला पदाधिकारी(नगरपालिका)—सह—जिला पदाधिकारी, पटना एवं प्राधिकृत—सह—जाँच पदाधिकारी, श्री पुष्पेश कुमार, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को यह आदेश दिया जाता है कि उक्त चारों बिन्दुओं पर स्पष्ट पूरक प्रतिवेदन 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ सभी मूल अभिलेखों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् दानापुर निजामत की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाए।

ज्ञातव्य हो कि नगर परिषद् दानापुर के कार्यकाल नगर परिषद् दानापुर के क्षेत्र विस्तार के कारण वैधानिक प्रावधानों के अधीन दिनांक—03.04.2026 तक है। अतः किसी प्रकार का विलम्ब अथवा अस्पष्ट प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा आयोग के आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा पैतृक विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी। आदेश के अनुपालन हेतु आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, पटना एवं प्राधिकृत पदाधिकारी श्री पुष्पेश कुमार, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, पटना को प्रेषित कर दी जाए।

तदनुसार सुनवाई की अगली **तिथि दिनांक—01.04.2026 को अपराह्न 03:30 बजे** निर्धारित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
30.03.2026

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–06 / 2025
वाद संख्य–31 / 2025
सूरज कुमार बनाम् श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी
धीरज कुमार बनाम् श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी

30.03.2026 इस वाद की सुनवाई **दिनांक–25.03.2026** को हुई, जिसमें वादी सुरज कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर उपस्थित एवं वादी श्री धीरज कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार दूबे उपस्थित। प्रतिवादी श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित। जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः Rejoinder दायर किया गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा जितने भी साक्ष्य अपने Holding Tax से संबंधित दिये गये है, वह False and Fabricated है, क्योंकि उसमें Account I.D. Mention नहीं है। आगे इनके द्वारा बताया गया कि Deed No.10005 का उल्लेख जिला प्रतिवेदन में अंकित नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को यह भी बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा जो Manual Receipt दायर किया गया है, वह विभाग के उस आदेश के पूर्व का है, जबकि केवल Online Receipt प्रदान करने का नियम था। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा विभागीय पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया। उनके द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया कि Manual Receipt पर हस्ताक्षर करने वाले नगर परिषद् दानापुर के डाटा इण्ट्री ऑपरेटर द्वारा प्रथम श्रेणी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर के समक्ष सूचना पत्र संख्या–250 / 2026 दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि Manual Receipt में सूचक का हस्ताक्षर उनके द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि यह हस्ताक्षर जाली है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सभी Deed का Holding Tax जमा कर दिया गया है।

वाद के निष्पादन के लिए यह आवश्यक है कि:–

1. Deed No.10005, दिनांक–13.12.2010 के Holding Tax कि स्थिति स्पष्ट रहे।
2. Manual Holding Tax Receipt की Genuineness बिना किसी संदेह के प्रमाणित हो
3. Holding Tax Receipt निर्गत करने का विभागीय प्रावधान स्पष्ट प्राप्त हो अर्थात्, जहाँ Online Holding Tax Receipt निर्गत होता हो, तो क्या वहाँ Offline Manual Tax Receipt निर्गत हो सकता है, अथवा नहीं।
4. सूचक द्वारा प्रथम श्रेणी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दानापुर में दायर वाद के कथन की सत्यता क्या है।

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सं0– 1359
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

जिला पदाधिकारी –सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
पटना।

पटना दिनांक– 30/3/2026

विषय :– **वाद संख्या 06/2025 सूरज कुमार बनाम शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी एवं वाद संख्या–31/2025 धीरज कुमार बनाम शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी में सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक–25.03.2026 को माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार के पारित आदेश को संलग्न करते हुए कहना है कि विषयांकित वाद की सुनवाई की तिथि **01.04.2026 को 03.30 बजे** अपराह्न निर्धारित की गई है। नोटिस की प्रति संलग्न।

अनुरोध है कि श्रीमती शिल्पी देवी उर्फ शिल्पी कुमारी को इसके साथ नोटिस का तामिला 24 घंटे के अन्दर निश्चित रूप से तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन आयोग को भेजा जाय तथा दिनांक **01.04.2026 को 03.30 बजे** अपराह्न में सुनवाई में उपस्थित होने के लिए नगरपालिका शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, पटना या अपरिहार्य स्थिति में वरीय उपसमाहर्त्ता से अन्यून को नोटिस का तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राधिकृत करते हुए प्रतिनियुक्त किया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/3/26

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।